POLITICAL SCIENCE Dept.
B.A.-I (Hons), Paper-I

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

कानून के प्रकार

विभिन्न विद्वानों ने कानून के विभिन्न प्रकार बताए हैं जो निम्नलिखित हैं —

(1) व्यक्तिगत कानून —

ऐसे कानून जो व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित करते हैं जैसे जायदाद खरीदने-बेचने का कानून।

(2) सार्वजनिक कानून —

इसके द्वारा व्यक्ति का सरकार या राज्य के साथ सम्बंध निश्चित किया जाता है। जैसे :- चोरी, डकैती हेतु कानून।

(3) संवैधानिक कानून —

संवैधानिक कानून उन कानून को कहते हैं जिसके द्वारा सरकार का ढाँचा निश्चित किया जाता है। जैसे :- राष्ट्रपति का निर्वाचन।

(4) सामान्य कानून —

नागरिकों के दैनिक जीवन को नियमित करने वाले कानून सामान्य कानून होते हैं। सामान्य कानून व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित होते हैं या रीति-रिवाजों एवं परंपराओं पर आधारित होते हैं।

(5) प्रशासकीय कानून :-

किसी-किसी देश में साधारण नागरिकों से पृथक सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून होते है। ऐसे कानून प्रशासकीय कानून

कहलाते हैं। फ्रांस प्रशासकीय कानून का अच्छा उदाहरण है। प्रशासकीय कानून वे नियम होते हैं जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं।

⑥ प्रथागत कानून —

देश में प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर जो कानून बने होते हैं और न्यायालय इसे मान्यता देकर कानून का रूप प्रदान करते हैं। इंग्लैंड में कानून के विकास में प्रथागत कानूनों का महत्वपूर्ण स्थान है।

⑦ अध्यादेश कानून —

किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए कार्यपालिका के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

⑧ अन्तर्राष्ट्रीय कानून —

विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बंध को नियमित करने वाले कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। ओपेनहेम के अनुसार "अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रथाओं एवं परंपराओं का वह समूह है जो सभ्य राज्यों द्वारा अपने आपसी सम्बंध में कानूनी तौर पर बाध्य समझा जाता है।